न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – रजनी मीणा, आर.ए.एस.।

प्रकरण संख्या	किस्म मुकदमा	दायर दिनांक	GCMS·NO.	निर्णय दिनांक
143/2022	प्रार्थना पत्र–212	02.11.2022	2022/471	06.01.2026

–:: अनवान ::–

1. अर्जुनलाल पिता चांदमल जाति गाडरी निवासी सोमावास तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ

.....प्रार्थी

बनाम

1. चांदमल पिता सवा जाति गाडरी निवासी सोमावास तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ
2. अम्बालाल पिता सवा जाति गाडरी निवासी सोमावास तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ
3. श्री सरकार जरिये तहसीलदार साहब भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज.)

..... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.ए. बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री सुरपालसिंह गौड, प्रार्थी अधिवक्ता

1. सारांश में मामला इस प्रकार है कि वादी/प्रार्थी ने उक्त अनवान का वाद पत्र अलग से न्यायालय में पेश कर दिया है, जो, काफी ठोस, संशक्त व सुदृढ आधारों पर आधारित होने से अवश्य ही पक्ष वादी विरुद्ध प्रतिवादी निर्णित होगा लेकिन वाद पत्र की कुलिया सुनवाई होकर निर्णय में समय लगेगा। इसलिए यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी.ए. के तहत प्रस्तुत किया गया।
2. यह कि प्रार्थी एवं विपक्षीगण की पैतृक पुश्तैनी, कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग की कृषि भूमि ग्राम सोमावास पटवार हल्का नपावली तहसील भदेसर की परिशिष्ट अ खाता संख्या 115 पर दर्ज आराजी नम्बर 389 रकबा 0.34 हैक्टयर भूमि स्थित है। परिशिष्ट ब खाता संख्या 113 पर दर्ज आराजी नम्बर 390 रकबा 0.61 हैक्टयर कृषि भूमि स्थित है। परिशिष्ट स खाता संख्या 55 पर दर्ज आराजी नम्बर 325 रकबा 0.11 हैक्टयर, आराजी नम्बर 331 रकबा 0.11 हैक्टयर, आराजी नम्बर 343 रकबा 0.15 हैक्टयर, आराजी नम्बर 345 रकबा 0.17 हैक्टयर, आराजी नम्बर 700 रकबा 0.16 हैक्टयर, आराजी नम्बर 702 रकबा 0.25 हैक्टयर, आराजी नम्बर 767 रकबा 0.13 हैक्टयर, आराजी नम्बर 771 रकबा 0.21 हैक्टयर, आराजी नम्बर 822 रकबा 0.04 हैक्टयर, आराजी नम्बर 824 रकबा 0.04 हैक्टयर, कुल किता 10 कुल रकबा 1.37 हैक्टयर, कृषि भूमि स्थित है। परिशिष्ट द खाता संख्या 145 पर दर्ज आराजी नम्बर 693 रकबा 0.32 हैक्टयर कृषि भूमि स्थित है। परिशिष्ट य खाता संख्या 146 पर दर्ज आराजी नम्बर 701 रकबा 0.38 हैक्टयर, आराजी नम्बर 823 रकबा 0.04 हैक्टयर भूमि स्थित है। परिशिष्ट र खाता संख्या 114 पर दर्ज आराजी नम्बर 386 रकबा 0.09 हैक्टयर, आराजी नम्बर 387 रकबा 0.05 हैक्टयर, आराजी नम्बर 388 रकबा 2.72 हैक्टयर, कृषि भूमि स्थित है। परिशिष्ट ल खाता संख्या 194 पर

दर्ज आराजी नम्बर 830 रकबा 0.08 हैक्टयर, कृषि भूमि स्थित है। परिशिष्ट व खाता संख्या 169 पर दर्ज आराजी नम्बर 765 रकबा 0.08 हैक्टयर, कृषि भूमि स्थित है।

3. यह कि प्रार्थी विपक्षी संख्या 01 का जायंदा पुत्र होकर विपक्षी संख्या 01 का विरासत से परिशिष्ट अ खाता संख्या 115 में 5/48, परिशिष्ट ब खाता संख्या 113 में 5/48, परिशिष्ट स संख्या 55 में 5/24, परिशिष्ट द खाता संख्या 145 में 5/48, परिशिष्ट य खाता संख्या146 में 5/48, परिशिष्ट र खाता संख्या 114 में 5/48, परिशिष्ट ल खाता संख्या 193 में 5/128, परिशिष्ट व खाता संख्या 194 में 5/128, परिशिष्ट श खाता संख्या 169 में 5/128 वां हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुआ है जो वर्तमान में विपक्षी संख्या 01 के नाम पर दर्ज चला आ रहा है।

4. यह कि प्रार्थी विपक्षी संख्या 01 का एक मात्र जायंदा पुत्र होकर विपक्षी संख्या 01 के प्रार्थी के अलावा अन्य कोई संतान नहीं हैपरन्तु विपक्षी संख्या 01 अपने भाई विपक्षी 02 एवं अन्य भूमाफियाओं के बहकावे में आकर प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 03 में वर्णित हक हिस्से वाली आराजीयात अन्य को हस्तान्तरित करने पर आमादा हो रहा है इसलिए प्रार्थी को विपक्षी संख्या 01 चांदमल का जो प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 03 में वर्णित हक हिस्सा बनता है. उसमें से 1/2 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक होने से यह वाद पत्र बाबत खातदारी घोषणा का श्रीमान के समक्ष पेश है।

5. यह कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात पैतृक पुश्तैनी होकर उक्त आराजीयात में चांदमल का जो भी हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है उसमें से 1/2 हक हिस्सा प्रार्थी का जन्म से निहित है तथा चांदमल के हक हिस्से में आई आराजीयात में से 1/2 हक हिस्से पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त कर रहा है परन्तु आराजीयात विपक्षी संख्या 01 चांदमल के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने से वह उक्त आराजीयात विक्रय कर प्रार्थी को पैतृक पुश्तैनी आराजीयात के उपयोग उपभोग से मेहरुम करना चाहता है इसी नियत से विपक्षी संख्या 01 व 02 प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी कर रहे है जिससे विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करे एवं आराजीयाजीयात उसके नाम खातेदारी में दर्ज होने से किसी अन्य को रहन, बह, बक्षीश व दिगर तरीके से हस्तान्तरित नहीं करे ना किसी अन्य से करावें।

6. यह कि यदि विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पांबंद नहीं किया गया तो विपक्षीगण प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन नहीं होने का नाजायज फायदा उठा कर प्रार्थी को आराजीयाजीयात से बेदखल कर अन्य को रहन, बह, बक्षीश व दिगर तरीके से मुन्तकील करने में सफलता प्राप्त कर लेगे तो प्रार्थी का वाद पत्र पेश करना ही निरर्थक हो जायेगा एवं प्रार्थी को अकथनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन किया जाना किसी प्रकार संभव नहीं होगा एवं मौके पर लडाई झगडे होकर फिजुल की मुकदमेबाजी को बढावा मिलेगा इसलिए भी विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक हो जाने से यह आवेदन बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश है।

7. यह कि प्रथम दृष्टया मामला, न्याय, साम्य, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में है, अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने पर विपक्षीगण को भी कोई हानि नहीं होगी।

प्रकरण बाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तामील से तलब किया गया बरोज पेशी विपक्षीगण संख्या 01 से 02 अनुपस्थित रहने से कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र का अंतिम रुप से निस्तारण किया जाना है धारा 212 आर.टी.ए. के प्रार्थना पत्र पर अस्थाई व्यादेश देना या नहीं देना तीन सुस्थापित सिद्धांतों पर निर्भर करता है।

1. क्या प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला है ?
2. क्या सुविधा का सन्तुलन उनके पक्ष में है ? (अर्थात यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतर असुविधा प्रार्थीगण को होगी या विपक्षीगण को)
3. क्या प्रार्थीगण की अपूर्णीय क्षतिकारित होगी ?

ये तीनो शर्ते संयुक्त रुप से पूरी होने पर प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई व्यादेश जारी किया जा सकता है।

अतः प्रार्थना पत्र पर अंतिम आदेश देने से पूर्व अस्थाई व्यादेश के संबंध में स्थापित उपरोक्त तीनों सिद्धान्तों पर उसका परीक्षण करना आवश्यक है।

लायक विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने अवगत कराया कि प्रार्थी के पिता विपक्षी संख्या 01 के प्रार्थना पत्र के कलम संख्या 02 में वर्णित आराजीयात कृषि भूमि रेकॉर्डेड खातेदार विवादित भूमि उनके नाम दर्ज रेकार्ड है।

ग्राम सोमावास पटवार हल्का नपावली तहसील भदेसर की खाता संख्या 115 पर दर्ज आराजी नम्बर 389 रकबा 0.34 हैक्टयर, व खाता संख्या 113 पर दर्ज आराजी नम्बर 390 रकबा 0.61 हैक्टयर, व खाता संख्या 55 पर दर्ज आराजी नम्बर 325 रकबा 0.11 हैक्टयर, आराजी नंम्बर 331 रकबा 0.11 हैक्टयर, आराजी नम्बर 343 रकबा 0.15 हैक्टयर, आराजी नम्बर 345 रकबा 0.17 हैक्टयर, आराजी नम्बर 700 रकबा 0.16; हैक्टयर, आराजी नम्बर 702 रकबा 0.25 हैक्टयर, आराजी नम्बर 767 रकबा 0.13 हैक्टयर, आराजी नम्बर 771 रकबा 0.21 हैक्टयर, आराजी नम्बर 822 रकबा 0.04 हैक्टयर, आराजी नम्बर 824 रकबा 0.04 हैक्टयर, कुल किता 10 कुल रकबा 1.37 हैक्टयर, व खाता संख्या 145 पर दर्ज आराजी नम्बर 693 रकबा 0.32 हैक्टयर, व खाता संख्या 146 पर दर्ज आराजी नम्बर 701 रकबा 0.38 हैक्टयर, आराजी नम्बर 823 रकबा 0.04 हैक्टयर, व खाता संख्या 114 पर दर्ज आराजी नम्बर 386 रकबा 0.09 हैक्टयर, आराजी नम्बर 387 रकबा 0.05 हैक्टयर, आराजी नम्बर 388 रकबा 2.72 हैक्टयर, व खाता संख्या 194 पर दर्ज आराजी नम्बर 830 रकबा 0.08 हैक्टयर, एवं खाता संख्या 169 पर दर्ज आराजी नम्बर 765 रकबा 0.08 हैक्टयर कृषि भूमि वर्तमान में प्रार्थी के पिता विपक्षी संख्या 01 के नाम खातेदारी में अभिलिखित होकर रेकार्डेड खातेदार है, प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित उक्त आराजीयात प्रार्थी के हक अधिकार मूल वाद में साक्ष्य, सबुत से निर्धारण किया जाना संभव होगा। प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा संतुलन एवं अपुर्णीय क्षति का सिद्धान प्रार्थी के पक्ष में अंशतः साबित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र साबित कराने में सफल रहे है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पाबन्द किया जाता है कि ग्राम सोमावास पटवार हल्का नपावली तहसील भदेसर की खाता संख्या 115 पर दर्ज आराजी नम्बर 389 रकबा 0.34 हैक्टयर, व खाता संख्या 113 पर दर्ज आराजी नम्बर 390 रकबा 0.61 हैक्टयर, व खाता संख्या 55 पर दर्ज आराजी नम्बर 325 रकबा 0.11 हैक्टयर, आराजी नम्बर 331 रकबा 0.11 हैक्टयर, आराजी नम्बर 343 रकबा 0.15 हैक्टयर, आराजी नम्बर 345 रकबा 0.17 हैक्टयर,

आराजी नम्बर 700 रकबा 0.16 हैक्टयर, आराजी नम्बर 702 रकबा 0.25 हैक्टयर, आराजी नम्बर 767 रकबा 0.13 हैक्टयर, आराजी नम्बर 771 रकबा 0.21 हैक्टयर, आराजी नम्बर 822 रकबा 0.04 हैक्टयर, आराजी नम्बर 824 रकबा 0.04 हैक्टयर, कुल किता 10 कुल रकबा 1.37 हैक्टयर, व खाता संख्या 145 पर दर्ज आराजी नम्बर 693 रकबा 0.32 हैक्टयर, व खाता संख्या 146 पर दर्ज आराजी नम्बर 701 रकबा 0.38 हैक्टयर, आराजी नम्बर 823 रकबा 0.04 हैक्टयर, व खाता संख्या 114 पर दर्ज आराजी नम्बर 386 रकबा 0.09 हैक्टयर, आराजी नम्बर 387 रकबा 0.05 हैक्टयर, आराजी नम्बर 388 रकबा 2.72 हैक्टयर, व खाता संख्या 194 पर दर्ज आराजी नम्बर 830 रकबा 0.08 हैक्टयर, एवं खाता संख्या 169 पर दर्ज आराजी नम्बर 765 रकबा 0.08 हैक्टयर भूमि में प्रार्थी के हक हिस्से वाली कृषि भूमि से विपक्षीगण प्रार्थी को बेदखल नहीं कर एवं आराजीयात के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में दखलअंदाजी नहीं करे एवं आराजीयात किसी अन्य को रहन, बह, बक्षीश व दिगर तरीके से हस्तान्तरित न तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करावे इस हेतु विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता।

निर्णय दिनांक 06.01.2026 को खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

(रजनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भदेसर

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जिला- चित्तौड़गढ़ (राज.)

दालत

अर्जुन लाल बनाम [illegible]

ाही अन्तर्गत :- [illegible]

मुकदमा प्रार्थना पत्र नम्बर 1145/2022 सन्

ारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/2025	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी वकील बहस हेतु अवसर चाहा गया। प्रार्थी वकील बहस हेतु अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 11/12/2025 को पेश हो। [initials]	
11 12/2025	पत्रावली प्रस्तुत। प्रार्थी अधिवक्ता उप.। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 17/12/2025 को पेश हो।	
7 12/2025	पत्रावली प्रस्तुत। प्रार्थी अधिवक्ता उप.। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 06/01/2026 को पेश हो। [initials]	
06 01/2026	पत्रावली प्रस्तुत। प्रार्थी अधिवक्ता उप.। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र [illegible] [illegible] पृथक से [illegible] किया जाकर [illegible] [illegible] गया। [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible] दाखिल दफ्तर [illegible]। पत्रावली [illegible] [illegible] हो। [initials]	